



2026:AHC:67014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 12968 वर्ष 2026

राम भरोसे आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शिव कुमार केसरी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री चव्हाण प्रकाश

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-7, इलाहाबाद द्वारा केस संख्या-2180 वर्ष 2023 (राज्य बनाम राम भरोसे) से उत्पन्न केस संख्या-194 वर्ष 2021 से उत्पन्न मामले संख्या-194 वर्ष 2021 से उत्पन्न होने वाले मामले संख्या-194 वर्ष 2021 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-7, इलाहाबाद द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 04.07.2023 सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-6, इलाहाबाद की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसने धारा 326, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत केस अपराध संख्या-0192 वर्ष 2021, थाना-सराय ममरेज, जिला प्रयागराज ने 20.07.2021 की एक घटना के संबंध में प्रतिपक्षी संख्या-2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद प्रतिपक्षी संख्या-2 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने केवल आवेदक पर दबाव बनाने के लिए एक प्रतिवाद के रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसे धारा 323, 504, 506, 308 भ०द०वि० के तहत मामला अपराध संख्या-194 वर्ष 2021 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें घटना वर्ष 20.07.2021 को दर्शाया गया था, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर, प्रयागराज में घायलों की चिकित्सकीय जांच की गई और घायलों की जांच करने वाले डॉक्टर ने राय दी है कि एक चोट को छोड़कर चोटें प्रकृति में सरल हैं। जांच के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है और आवेदक को तलब किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए, आक्षेपित समन आदेश को रद्द किया जा सकता है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि धारा 323, 504, 506, 308 भ०द०वि० के तहत केस अपराध संख्या-194 वर्ष 2021 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक के खिलाफ 20.07.2021 की एक घटना के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें घायल को गंभीर चोट आई थी। घायलों की जांच करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और आवेदक को सही ढंग से तलब किया। आक्षेपित समन आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

5. इस मामले के तथ्य के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने आवेदक के खिलाफ केस अपराध संख्या-194 वर्ष 2021 के रूप में केस अपराध संख्या-194, भ०द०वि० के तहत थाना-सराय ममरेज, जिला प्रयागराज में 20.07.2021 की एक घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर, प्रयागराज में घायलों की चिकित्सकीय जांच की गई और डॉक्टर ने घायलों पर कई चोटें पाईं। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और आवेदक को आक्षेपित आदेश के माध्यम से तलब किया है। आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

6. अभिलेखों पर मौजूद सामग्री और मामले के तथ्यों के अवलोकन से, इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में



की गई सभी प्रस्तुतियाँ तथ्य पर विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिन पर इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. इस स्तर पर, **आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 66** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया जाना चाहिए; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 426; और बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 192। इस स्तर पर आवेदक के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए, इसे रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है और आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

आरएमके

(न्यायमूर्ति चव्हाण प्रकाश)